निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 86/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मदन लाल
2. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री अशोक कुमार जैन

समस्त जाति जैन निवासी ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
2. मौरी लाल पुत्र रूघनाथ
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मौरीलाल
4. श्रीमती नीना देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार

जाति हरियाणा ब्राहम्ण, ग्राम साईवाड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 117/2023 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 70/2023 ब उनवानी मौरीलाल व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री घनश्याम शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 2, 3 व 4 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.07.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 117/2023 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 70/2023 ब उनवानी मौरीलाल व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवता श्री घनश्याम शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 21.05.2024 को तारीख पेशी पर प्रार्थीगण तारीख पेशी पर उपस्थित हुये तो उन्होंने देखा कि अप्रार्थीगण मुकदमें की सुनवाई से पूर्व उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर से निकले और प्रार्थीगण को कहा कि हमारी उपखण्ड अधिकारी से बात हो गई है प्रकरण एक दो दिन में हमारे पक्ष में निस्तारित हो जावेगा। अप्रार्थीगण के चैम्बर से बाहर आने के पश्चात किये गये कथनों के उपरान्त प्रकरण की सुनवाई होने पर उप खण्ड अधिकारी द्वारा पत्रावली को बिना बहस सुने ही निर्णय हेतु नियत करने लगे, जिसे पर बहस हेतु समय चाहने पर दिनांक 27 मई की तारीख ही दी गई और कहा कि उक्त दिवस को निर्णय तैयार है । आप बहस करे या नहीं करे मैं इस माह मे प्रकरण को निस्तारित कर दूंगा। जिससे प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण द्वारा किये गये कथनों पर विश्वास हो गया कि निर्णय येन केन प्रकारेण अप्रार्थी अपने हक में करवा लेंगे। इस कारण प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)